

दिनांक 30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिये जाने के लिए

मसालों का उत्पादन

1167. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या वाणिज्य और उद्योगमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय मसालों के निर्यात से संबंधित गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई- कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) मसाला उत्पादन एवं निर्यात श्रृंखला में प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार इन गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के संभावित आर्थिक प्रभाव का आकलन किस सीमा तक कर रही है;

(घ) संभावित नुकसान को कम करने तथा भारतीय मसाला किसानों और निर्यातकों की आजीविका की रक्षा करने वाली आकस्मिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारतीय मसालों की यूरोपीय संघ (ईयू) के मानकों को पूरा करने और बाजार में पुनः पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की समग्र गुणवत्ता और ब्रांड प्रतिष्ठा में सुधार लाने के लिए दीर्घकालिक कार्यनीति अपनाने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) से (घ): मसाला बोर्ड ने मूल कारण विश्लेषण करने के पश्चात सभी निर्यातकों को सभी चरणों अर्थात् कच्चे माल की खरीद, प्रसंस्करण, पैकिंग, भंडारण, परिवहन आदि पर संभावित एथिलीन ऑक्साइड संदूषण को रोकने के लिए 'व्यापक दिशा-निर्देश' जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों के भाग के रूप में, बोर्ड ने सभी निर्यातकों को अपनी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों (एफएसएमएस) में महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं (सीसीपी) के भाग के रूप में खरीदे गए कच्चे

माल और तैयार माल की निगरानी को शामिल करने तथा आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों, जिसमें खरीद, प्रसंस्करण, पैकिंग, भंडारण, निर्यात आदि शामिल हैं, में मसालों के संदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के गुणवत्ता मूल्यांकन कार्यक्रम को भी अद्यतन किया गया है।

यह भारत से निर्यात किए जाने वाले मसालों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बोर्ड के माध्यम से की जा रही अन्य पहलों के अतिरिक्त है, जैसे:-

i) किसानों/एफपीओ/किसान समूहों को कटाई के बाद की अवस्था में मसालों की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से ड्रायर/क्योरिंग डिवाइस, वॉशिंग/क्लीनिंग/ग्रेडिंग मशीन, डिस्टिलेशन यूनिट आदि जैसी कटाई के बाद की मशीनें खरीदने और लगाने में सहायता।

ii) इन-हाउस लैब की स्थापना/उन्नयन में और 'खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र/प्रमाणन के कार्यान्वयन के लिए सहायता' और 'त्वरित खाद्य परीक्षण उपकरणों और किटों के लिए निर्यातकों को सहायता' आदि जैसे कार्यक्रमों द्वारा निर्यातकों की सहायता करना ।

iii) मसालों की गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं और मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में अपनाई जाने वाली अच्छी कार्यप्रणालियों पर मूल्य श्रृंखला के साथ हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और अभियानों का संचालन।

iv) मिशन स्वच्छ मसाले पहल के तहत, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई), मसाला उद्योग और संयुक्त राष्ट्र के मानक और व्यापार विकास सुविधा के साथ विभिन्न सहयोगी परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका उद्देश्य कृषि कार्यप्रणालियों को मजबूत करना, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले मसालों के निर्यात का विस्तार करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मसाला मूल्य श्रृंखला में क्षमता निर्माण करना है।

v) निर्यात के लिए अपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के भाग के रूप में, मसाला बोर्ड चुनिंदा गंतव्यों के लिए चुनिंदा मसालों की निर्यात खेपों का गुणवत्ता मूल्यांकन कर रहा है ताकि आयातक देशों की गुणवत्ता विशिष्टताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। बोर्ड ने प्रमुख उत्पादन/निर्यात केंद्रों में से 8 में अत्याधुनिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (क्यूईएल) स्थापित की हैं, और भारत भर में एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भी सूचीबद्ध किया है ताकि भारत से विभिन्न गंतव्यों को निर्यात किए जाने वाले मसालों और मसाला उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा अनुपालन के लिए परीक्षण और मूल्यांकन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। निर्यात खेपों की विषाक्त पदार्थों, संदूषकों, अवशेषों आदि सहित ज्ञात और उभरती गुणवत्ता और सुरक्षा चिंताओं के लिए जांच की जाती है। इसके अलावा, बोर्ड के गुणवत्ता मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत मसालों, मापदंडों और गंतव्यों को आयातक देश के मानकों, संभावित और उभरते जोखिमों आदि के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रोपण सामग्री उत्पादन, कीटनाशक मुक्त जीरा उत्पादन, उच्च करक्यूमिन हल्दी किस्मों का क्लस्टर आधारित जैविक उत्पादन, रोग मुक्त अदरक बीज

उत्पादन कार्यक्रम, उच्च घनत्व वाली दालचीनी की खेती को बढ़ावा देना और जीआई किस्मों को बढ़ावा देने सहित विभिन्न गतिविधियों द्वारा उत्पादन स्तर पर मसालों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कार्यक्रमों को भी लागू करता है।

भारत विश्व में मसालों और मसाला उत्पादों का अग्रणी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वित्त वर्ष 2023-24 में, भारत ने कुल 11.80 मिलियन मीट्रिक टन मसालों का उत्पादन किया और वर्ष के दौरान 1.54 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक मसालों का निर्यात किया, जो देश में कुल मसाला उत्पादन का लगभग 13% है। वर्ष 2022, 2023 और 2024 (जनवरी-मार्च) के दौरान भारत से निर्यात की गई कुल खेपों और आयातक देशों से हुई अस्वीकरण की तुलना से पता चला कि कुल अस्वीकरण भारतीय मसाला निर्यात का केवल 0.2% था। भारत से मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 4,464.17 मिलियन अमरीकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर गया।

(ड): यूरोपीय संघ (ईयू) भारतीय मसालों के लिए प्रमुख गंतव्यों में से एक है। मसाला बोर्ड व्यापार वर्गीकरण के सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएस) के कोड 0904 से 0910, 1302 और 2103 के तहत ईयू को निर्यात किए जाने वाले सभी मसालों और मसाला उत्पादों के लिए एथिलीन ऑक्साइड के लिए अनिवार्य नमूनाकरण और परीक्षण करता है। साथ ही, ईयू को निर्यात किए जाने वाले मिर्च, हल्दी, अदरक, जायफल, जावित्री और करी पाउडर सहित मसालों की खेपों का निर्यात सक्षम करने के लिए चयनित मापदंडों के लिए परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा, बोर्ड, भारतीय मिशन के माध्यम से मसालों के लिए नए और उभरते मानकों/अपेक्षाओं को समझने और गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं के संबंध में भारतीय मसाला क्षेत्र की चिंताओं को उठाने के लिए यूरोपीय संघ में नियामक निकायों के साथ तकनीकी बैठकों में भाग लेता है।

(च) और (छ): (क) और (ख) के उत्तर में दिए गए ब्यौरे के अनुसार मसाला बोर्ड और कृषि मंत्रालय की चल रही पहलों के अतिरिक्त, मसाला बोर्ड "निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, नवीन और सहयोगात्मक हस्तक्षेप (एसपीआईसीईडी) द्वारा मसाला क्षेत्र में स्थिरता" के हिस्से के रूप में विदेशी बाजारों में भारतीय मसाला ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए मसाला निर्यातकों को ब्याज मुक्त ब्रांड प्रचार ऋण प्रदान करके, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों (प्रत्यक्ष भागीदारी और बोर्ड के मंडप के माध्यम से) में निर्यातकों की भागीदारी का समर्थन करके सहायता कर रहा है, जिससे उन्हें बाजार विकास और ब्रांड प्रचार गतिविधियों को करने में सक्षम बनाया जा सके। बोर्ड द्विवार्षिक विश्व मसाला कांग्रेस (डब्ल्यूएससी) जो प्रमुख खरीदारों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों सहित 1000 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ मसालों के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विशिष्ट बी2बी कार्यक्रम है, का भी आयोजन कर रहा है।
